**-:प्रेस नोट:-**

**दिनांक- 29.10.2025**

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 06 वर्षीय बेटे की गैर-इरादतन हत्या करने वाली मां व उसके प्रेमी को किया गया गिरफ्तार।**

**विवरण-** पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 06 वर्षीय बेटे की गैर-इरादतन हत्या करने वाली मां व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम महोखर के रहने वाले ओम प्रकाश नें दिनांक 28.10.2025 थाना कोतवाली नगर में सूचना दी कि उसके 06 वर्षीय पुत्र की उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिनांक 25.10.2025 को हत्या दी। सूचना पर थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत करते हुए तत्काल अभियुक्तों को काशीराम कालोनी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के निम्नीपार की रहने बबली की शादी 15 वर्ष पूर्व थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के महोखर के ओम प्रकाश के साथ हुई थी। तीन वर्ष पूर्व महिला अपने एक बच्चे को लेकर अपने प्रेमी लखनलाल के साथ शांति नगर मोहल्ले में रहने लगी। दिनांक 25.10.2025 को महिला व उसके प्रेमी द्वारा बच्चे को बुरी तरह मार दिया जिसकी इलाज दौरान मृत्यु हो गई।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. लखनलाल पुत्र रामआसरे निवासी गोयरा जनपद छतरपुर।
2. बबली पत्नी ओम प्रकाश कुशवाहा निवासी शांति नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

**पंजीकृत अभियोग-**

➢ मु0अ0सं0 830/25 धारा 105 बीएनएस व 75 किशोर न्याय अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1. श्री बलराम सिंह प्र0नि0 थाना कोतवाली नगर
2. श्री बुद्धिसागर चौकी प्रभारी मर्दननाका
3. उ0नि0 इबरार सिद्दीकी
4. म0कां0 शाहिदा कौसर
5. कां0 नितेन्द्र कुमार